प्रबंधक, वीकेएनएम व्यावसायिक हायर सेकेंडरी स्कूल

बनाम

केरल राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 518-519/2016)

27 जनवरी 2016

[फक्कीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और एस.ए. बोबडे, जे. जे.]

सेवा कानून:

केरल शिक्षा नियम - आर. 514. आर. 74(3)(संशोधित) - तरजीही नियुक्ति - 5 प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता के स्कूल में 1997 और 1998 के बीच 3 अलग-अलग अवधियों में कुल दो महीने और 19 दिनों की अवधि के लिए काम किया - सामाजिक विज्ञान में हाई स्कूल सहायक के पद पर रिक्ति वर्ष 2010, एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप - इसके बाद, 6वें प्रतिवादी की नियुक्ति - 5वें प्रतिवादी द्वारा एक नियम पर भरोसा करते हुए चुनौती दी गई, जिसमें योग्य शिक्षकों की कुछ श्रेणियों को तरजीही नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिनके पास पहले स्कूल में काम करने का सौभाग्य था। - उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी - अपीलकर्ता को निर्देश - निजी सहायता प्राप्त स्कूल के प्रबंधन को अपने स्कूल में शिक्षक के रूप में 5वें प्रतिवादी को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए अपील पर, ठहराया: आर 7ए(3)में संशोधन के बाद दिनांक

16.04.2005 की अधिसूचना द्वारा, एक योग्य शिक्षक को उस रिक्ति पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो समाप्त हो गई है जब तक कि जिसकी अवधि एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष न हो - हालांकि आर 7ए(3) के संशोधन से पहले , 5वें प्रतिवादी ने असंशोधित आर 7ए(3)को संतुष्ट किया। दो महीने की अवधि के लिए एक योग्य शिक्षक के रूप में एक रिक्ति में लगे रहने से, लेकिन किसी भी तरजीही नियुक्ति के लिए दावा करने का कोई अवसर नहीं था - यह नहीं कहा जा सकता है कि जो अधिकार असंशोधित आर 7ए(3)के तहत उपलब्ध था अकेला वही रहेगा, न कि वह कानून जो उस समय प्रचलित था जब 5वें प्रतिवादी ने वर्ष 2010 में अधिमान्य नियुक्ति के लिए अपना दावा पेश किया था - 12 वर्षों के बाद जब 5वें प्रतिवादी ने अपने अधिकार को लागू करने की मांग की संशोधन यू/आर 51ए -7ए(3) ने स्पष्ट रूप से एक योग्य शिक्षक को "रिक्ति की समाप्ति के कारण" के तहत वर्गीकृत होने का दावा करने से वंचित कर दिया - निहित अधिकार 5वें प्रतिवादी को वर्ष में शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुआ जैसे वर्ष 1998 में - संशोधित आर 7ए(3) आर/डब्ल्यू आर 51ए के संदर्भ में, यदि किसी को रिक्तियों की समाप्ति के कारण कार्यमुक्त योग्य शिक्षक की श्रेणी में लाया जाना है, तो संशोधित आर. 7ए(3) का इस तरह का दायित्व एक स्पष्ट शैक्षणिक वर्ष तक चलता है, 5वें प्रतिवादी ने उक्त आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। इस प्रकार, उसका दावा यू/आर 51ए में तरजीही नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती,

5वें प्रतिवादी को दी गई राहत टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द कर दिया गया है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने माना:

1.1 यह दलील कि 5वें प्रतिवादी ने नियमों में विशेष रूप से नियम 7ए(3) में संशोधन लाए जाने के बाद भी निहित अधिकार हासिल कर लिया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियम 7ए(3) में संशोधन के बाद जो अधिसूचना जीओ(पी) संख्या 121/2005/जी.ईडीएन द्वारा पेश किया गया था दिनांक 16.04.2005, स्थिति यह थी कि एक योग्य शिक्षक को उस रिक्ति पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो समाप्त हो गई है जब तक कि उसकी अवधि एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष न हो। केरल शिक्षा नियमों के अध्याय VII का नियम 2ए विशेष रूप से एक 'शैक्षणिक वर्ष' को परिभाषित करता है, जिसे फिर से खुलने वाले दिन से शुरू माना जाता है और गर्मी की छुट्टियों से पहले आखिरी दिन पर समाप्त माना जाता है। अध्याय VII के नियम 1 के तहत यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि सभी स्कूलों को हर साल मार्च के आखिरी कार्य दिवस पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए और जून के पहले कार्य दिवस पर फिर से खोला जाना चाहिए जब तक कि निदेशक द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए। इसलिए, शैक्षणिक वर्ष पिछले वर्ष के 1 जून को शुरू होगा और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। इसलिए, यदि किसी को नियम 51ए के तहत "रिक्तियों की समाप्ति के

कारण" श्रेणी के तहत नियुक्ति के किसी अधिमान्य अधिकार का दावा करना था, तो संशोधित नियम 7ए(3) में निहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए ऐसे योग्य शिक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए था। एक रिक्ति में जो एक स्पष्ट शैक्षणिक वर्ष तक चली या अस्तित्व में थी। यह 5वें प्रतिवादी का मामला नहीं है कि उसने नियम 51ए के साथ पढ़े गए नियम 7ए(3) के तहत निर्धारित उक्त आवश्यकता को पूरा किया है। [अनुच्छेद 17] [359-सी-जी]

1.2 किसी व्यक्ति में निहित अधिकार के अस्तित्व या अन्यथा के प्रश्न पर गरिकपति वीरया मामले में व्याख्या के सिद्धांतों का व्यापक संदर्भ देने पर, यह कहा जा सकता है कि किसी उपचार की कानूनी खोज के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि कि इस तरह के उपचार के विभिन्न चरणों को एक श्रृंखला में बनाया जाता है या बल्कि इसकी श्रृंखला के रूप में, जो एक आंतरिक एकता द्वारा जुड़े हुए हैं जिसे एक कार्यवाही के रूप में कहा जा सकता है, कि ऐसे निहित अधिकार, यदि कोई हो, की उत्पत्ति किसी ऐसी कार्यवाही में होनी चाहिए जो ऐसे अधिकार पर स्थापित की गई थी, जिसे इसकी उत्पत्ति के समय ही स्पष्ट कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में उस आधार पर भविष्य के सभी दावे तब तक संरक्षित किए जाएंगे जब तक कि उक्त अधिकार की अंततः जांच नहीं की जाती। भविष्य के उपचार के इस तरह के संरक्षण के अस्तित्व में आने और अति स्पष्ट होने की स्थिति में, यह उत्पत्ति की तारीख से पहले का होगा जब

तथाकथित निहित अधिकार शुरू हुआ था, तभी और केवल तभी यह माना जा सकता है कि उक्त अधिकार बन गया एक निहित अधिकार है और यह उस कानून से पराजित नहीं होता है जो इसके निर्णय की तिथि पर या बाद में दावा दायर करने की तिथि पर लागू होता है। एक अन्य मौलिक सिद्धांत जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह है कि इस तरह के निहित अधिकार को भी बाद के अधिनियम द्वारा छीना जा सकता है यदि ऐसा बाद का अधिनियम विशेष रूप से व्यक्त शब्दों या आवश्यक इरादे से प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, बाद के अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान द्वारा ऐसे किसी भी अधिकार के विलुप्त होने की स्थिति में, उसका मूल्य खो जाएगा। [अनुच्छेद 19] [361-डी-जी]

1.3 यद्यपि दिनांक 16.04.2005 की अधिसूचना द्वारा नियम 7ए(3) में संशोधन से पहले 5वें प्रतिवादी ने दो महीने की अवधि के लिए एक योग्य शिक्षक के रूप में एक रिक्ति में संलग्न होकर असंशोधित नियम 7ए(3) को संतुष्ट किया था, क्योंकि 11 मार्च 1998 की शुरुआत में, दुर्भाग्य से 5वें प्रतिवादी के लिए ऐसी आवश्यकता की पूर्ति के आधार पर किसी भी तरजीही नियुक्ति के लिए दावा करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि यह तब मौजूद थी और जैसी कि नियम 51ए के तहत प्रदान किया गया है। दरअसल, 1998 से 2010 के बीच, लगभग 12 वर्षों तक 5वें प्रतिवादी के लिए उस आधार पर दावा करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए, शुरुआत में ही किसी उपाय को अपनाने का मूल सिद्धांत

इस बात पर विचार करने के लिए नहीं हुआ कि क्या दावे की ऐसी शुरुआत के आधार पर कोई आगे की कार्यवाही की जा सकती है। चूंकि शुरुआत में ही तत्कालीन मौजूदा नियम 7ए(3) के आधार पर भी दावा शुरू नहीं किया जा सका था, इसलिए यह मानना बहुत मुश्किल है कि ऐसे किसी भी अधिकार का संरक्षण हो सकता था जैसा कि इसके तहत मौजूद था। असंशोधित नियम 7ए(3)। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि जो कानून प्रचलित था, अर्थात्, जो अधिकार केवल असंशोधित नियम 7ए(3) के तहत उपलब्ध था, वह रहेगा, न कि वह कानून जो उस समय प्रचलित था जब 5वें प्रतिवादी ने दावा किया था। तरजीही नियुक्ति के लिए अर्थात जब वर्ष 2010 में रिक्ति उत्पन्न हुई। 12 वर्षों के बाद जब 5वें प्रतिवादी ने नियम 51ए के तहत अपने अधिकार को लागू करने की मांग की, तो नियम 7ए(3) में संशोधन के माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन लागू हुआ, जिसने स्पष्ट रूप से एक योग्य शिक्षक को अधिकार से वंचित कर दिया। "रिक्ति की समाप्ति के कारण" के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने का दावा, नियम 7ए(3) में संशोधन के आधार पर इस तरह के स्पष्ट निषेध को पेश किया गया था, यह प्रस्तुत करते हुए कि 5वें प्रतिवादी को एक निहित अधिकार 11.03.1998 को ही प्राप्त हो गया था स्वीकार नहीं किया जा सकता। [अनुच्छेद 20] [361-एच] 1362-ए-जी]

1.4 नियम 51ए के साथ पढ़े गए संशोधित नियम 7ए(3) की व्याख्या के अनुसार, यदि किसी को रिक्तियों की समाप्ति के कारण मुक्त किए गए योग्य शिक्षक की श्रेणी में लाया जाना है, तो संशोधित नियम 7ए(3) को संतुष्ट करना आवश्यक है, जैसे, ऐसी जिम्मेदारी केरल शिक्षा नियमों के अध्याय VII के नियम 1 और 2ए के तहत निर्धारित एक स्पष्ट शैक्षणिक वर्ष के लिए थी। 5वें प्रतिवादी द्वारा उक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करने के कारण उसे तरजीही नियुक्ति के लिए नियम 51ए के तहत अपने दावे पर जोर देने की अनुमति देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उक्त कानूनी परिणाम को ध्यान में रखते हुए, 1/प्रथम प्रतिवादी द्वारा दी गई राहत को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में जारी किए गए निर्देशों को भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है। पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर को खारिज कर दिया जाता है और **स्नेहा चेरियन मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या ही मान्य होगी। विवादित निर्णय को रद्द कर दिया गया है। प्रथम प्रतिवादी के आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। [अनुच्छेद 21, 22] 1362-एच) [363-ए-डी|

*गरिकापति वीरया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी एआईआर 1957 एससी 540- अनुसरण किया गया।

**केरल राज्य और अन्य बनाम स्नेहा चेरियन और अन्य (2013) 5 एससीसी 160: 2013 (4) एससीआर 460 - पर निर्भर।

अब्दुरहिमान बनाम केरल सरकार 2009 (2) के. एल. टी. 105; माया बनाम सरकार केरल सरकार 2010 (2) के. एल. टी. 99; महाराष्ट्र राज्य बनाम विष्णु रामचंद्र 1961 (2) एस. सी. आर. 26; आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड 2015 (1) एससीसी 1 - संदर्भित किया गया।

केस लॉज का संदर्भ

2009(2) के एल टी	संदर्भित	अनुच्छेद 4
2010(2) के एल टी	संदर्भित	अनुच्छेद 4
1961(2) एस सी आर	संदर्भित	अनुच्छेद 8
2015(1) एस सी सी	संदर्भित	अनुच्छेद 8
ए आई आर 1957 एस सी 540	अनुसरण	अनुच्छेद 19
2013(4) एस सी आर 460	पर निर्भर	अनुच्छेद 21

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 518-519/2016

डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 32734/2011 और डब्ल्यू.पी. (सी) 2808/2012 में केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के दिनांक 08.10.2014 के निर्णय और आदेश से।

साथ

सी ए संख्या 520/2016

राणा मुखर्जी, हर्षद वी. हमीद, एश्ली हर्षद, दिलीप पूलक्कट. नीरज शेखर अपीलार्थी की ओर से।

सी. एस. राजन, पी. वी. दिनेश, सिंधु टी. पी., पी. हरिदास, एम. टी. जॉर्ज प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा-

फक्कीर मोहम्मद इब्राहिम कैलीफुल्ला न्यायाधिपति

अनुमति प्रदान की गई।

1. इस निर्णय से हम विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 33104/2014 से उत्पन्न सिविल अपील का निपटान करते हैं, क्योंकि दोनों अपीलें केरल उच्च न्यायालय की सामान्य पूर्ण पीठ के फैसले से उत्पन्न हुई हैं। विशेष अनुमति याचिका संख्या 33104 /2014 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलकर्ता केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले से व्यथित है जिसे खारिज कर दिया गया था और परिणामस्वरूप सिविल अपील में अपीलकर्ता के स्कूल में दिनांक 01.06.2010 को उसकी नियुक्ति हुई, विशेष अनुमति याचिका संख्या 31794-95/2014 के आदेश को रद्द कर दिया गया ओ.टी. इन्दिरम्मा/निजी प्रतिवादी के उदाहरण पर। सुविधा के लिए, हम एसएलपी (सी) संख्या 31794/2014 से उत्पन्न सिविल अपील में सूचीबद्ध पक्षों का उल्लेख करते हैं।

2. विशेष अनुमति याचिका संख्या 31794-95/2014 से उत्पन्न सिविल अपील में निजी सहायता प्राप्त स्कूल का प्रबंधन हमारे समक्ष अपीलकर्ता है। केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के दिनांक 08.10.2014 के फैसले को चुनौती है, जिसका उत्तर देते हुए दो अन्य खण्ड पीठ के दो परस्पर विरोधी निर्णयों के मद्देनजर खंड पीठों द्वारा इसका संदर्भ दिया गया और इस प्रकार 5वें प्रतिवादी की रिट याचिका को अनुमति देते हुए अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज किया गया। अपीलार्थी को प्रतिवादी को उसके स्कूल में एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया।

3. जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है, वे हैं कि 5वें प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के स्कूल में 01.10.1997 और 11.03.1998 के बीच कुल दो महीने और 19 दिनों की अवधि के लिए 3 अलग-अलग कार्यकालों में काम किया। इसके बाद, जब वर्ष 2010 में एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप सामाजिक विज्ञान में हाई स्कूल सहायक का पद रिक्त हो गया। 6वें प्रतिवादी को 01.06.2010 को नए सिरे से नियुक्त किया गया। 5वें प्रतिवादी ने एक नियम पर भरोसा करते हुए 6वें प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती दी, जिसमें योग्य शिक्षकों की कुछ श्रेणियों को वरीयता नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जिन्हें स्कूल में पहले काम करने का सौभाग्य मिला था। अपीलार्थी ने केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर भरोसा करके 5वें प्रतिवादी के दावे

को खारिज कर दिया। अपीलार्थी के दिनांक 18.09.2010 के आदेश से व्यथित होकर, 5वें प्रतिवादी ने दूसरे प्रतिवादी से संपर्क किया। दूसरे प्रतिवादी ने अपने दिनांकित 31.03.2011 आदेश द्वारा उसके दावे को खारिज कर दिया। 5वें प्रतिवादी ने प्रथम प्रतिवादी के समक्ष एक संशोधन दायर किया और प्रतिवादी ने दिनांक 26.11.2011 के आदेश द्वारा चौथे प्रतिवादी, जिला शिक्षा अधिकारी को 5वें प्रतिवादी को हाई स्कूल सहायक के रूप में अपीलार्थी स्कूल में दिनांक 01.06.2010 से नियुक्त करने का आवश्यक औपचारिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने एक रिट याचिका डबल्यू. पी.(सी) संख्या 32734/2011 केरल उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके प्रथम प्रतिवादी के आदेश को चुनौती दी और तर्क दिया कि 5 प्रतिवादी वरीयता नियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। नियम 51ए और परिणामस्वरूप 1 प्रतिवादी का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता। 5वें प्रतिवादी ने डब्ल्यू.पी(सी)क्रमांक 2808/2012 में एक रिट याचिका दायर की प्रतिवादी के आदेश दिनांक 26.11.2011 को क्रियान्वित करने हेतु। अपीलकर्ता की रिट याचिका, 5वें प्रतिवादी और रिट याचिका संख्या 24773/2009 में एक अन्य रिट याचिका, जिसे एक अन्य दावेदार ने भी नियम 51ए पर भरोसा करते हुए दायर किया था, को सुनवाई के लिए एक साथ टैग (संलग्न)किया गया था।

4. चाहे जो भी हो, यह कहा गया है कि नियम 51ए के निहितार्थ के संदर्भ में जिसमें 27.04.2005 से लागू संशोधन किया गया था

संशोधित नियम 7ए (3) के साथ पढ़ें क्योंकि इसमें दो विरोधाभासी बातें थीं खंड पीठ के फैसले, अर्थात् अब्दुरहिमान बनाम सरकार केरल-2009 (2) केएलटी 105 और माया बनाम सरकार केरल-2010 (2) के. एल. टी. 99, उच्च न्यायालय की खंड पीठ जिसके समक्ष उपरोक्त रिट याचिकाएं दायर की गईं, मामले को पूर्ण पीठ को भेज दिया गया। इस प्रकार विवादित निर्णय 08.10.2014 पर केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित किया गया।

5. फैसले पर आपत्ति जताते हुए, श्री राणा मुखर्जी अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इस मुद्दे को सीधे तौर पर केरल राज्य और अन्य बनाम स्नेहा चेरियन और अन्य (2013) 5 एससीसी 160 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के हालिया फैसले से कवर किया गया था। इसलिए, इस अपील में लगाए गए पूर्ण पीठ के फैसले को रद्द किया जाने योग्य है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें संबंधित नियमों, अर्थात् नियम 7ए के बारे में भी बताया, नियम 49, नियम 52 और नियम 51ए अपने प्रावधान के साथ और प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने नियम 7ए(3) और नियम 51ए के प्रावधान के विशेष संदर्भ में उपरोक्त नियमों का विश्लेषण किया और माना कि एक शिक्षक के लिए जो नियोजित था और बाद में कार्यमुक्त हो गया रिक्तियों की समाप्ति के कारण ऐसे शिक्षक की सेवाएं नियम 7ए(3)सी के अनुसार एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए लगी होनी चाहिए थीं और उक्त शर्त 27.04.2005

से नियम में लागू की गई है, ऐसा दावा किया गया है असंशोधित नियम 7 ए(3) पर भरोसा करके 5 वें प्रतिवादी को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि यद्यपि अब्दुरहीमन (सुप्रा) के मामले में केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले की इस न्यायालय ने पुष्टि की थी जो एक रसोइया की नियुक्ति से संबंधित था। उक्त निर्णय में संशोधित नियम 7 ए (3) और नियम 51 ए के निहितार्थ की विशेष रूप से जांच नहीं की गई है, केवल इस न्यायालय के स्नेहा चेरियन (सुप्रा) के मामले में वर्तमान निर्णय मान्य होगा और उस आधार पर केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्धारित कानून को खारिज किया जाना चाहिए।

6. उपरोक्त प्रस्तुतियों के विपरीत श्री सी.एस. राजन ने शुरुआत में 5 वें प्रतिवादी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील से कहा कि चूंकि यह मुद्दा अब्दुरहीमन (उपरोक्त) के फैसले में स्पष्ट रूप से कवर किया गया था, जिसके बाद विवादित फैसले में पूर्ण पीठ ने हस्तक्षेप किया, इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 5 वें प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, 5 वें प्रतिवादी का वरीयता नियुक्ति का दावा करने का अधिकार असंबद्ध नियमों के तहत स्पष्ट हो गया और इस तरह ऐसी नियुक्ति का दावा करने का निहित अधिकार 5 वें प्रतिवादी के पक्ष में संरक्षित हो गया और परिणामस्वरूप नियम में संशोधन किया गया 7 ए(3) के साथ-साथ नियम 51 ए के परंतुक का 5 वें प्रतिवादी के पक्ष में

पहले से ही निहित ऐसे निहित अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कोई निहितार्थ नहीं हो सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि किसी भी कारण से यह अदालत मान लेती है कि स्नेहा चेरियन (सुप्रा) में जो निर्णय है ,लागू होगा, अब्दुरहिमान (सुप्रा) और स्नेहा चेरियन (सुप्रा) में व्यक्त दो परस्पर विरोधी विचारों के आलोक में मुद्दा एक बड़ी पीठ के पास जाना चाहिए।

7. राज्य के विद्वान वकील, श्री एम. टी. जॉर्ज भी उस मत का समर्थन करेंगे जैसा कि 5वें प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने तर्क दिया कि केवल पांचवें प्रतिवादी के दावे पर उस कानून के आलोक में विचार किया जा सकता है जो नियम 7ए (3) और 51ए के संशोधन से पहले प्रचलित था।

8. श्री राणा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने स्नेहा चेरियन (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख करने के अलावा इन पर भी निर्भर किया महाराष्ट्र राज्य बनाम विष्णु रामचंद्र 1961 (2) एस. सी. आर. 26 और आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड-2015 (1) एससीसी 1.

9. संबंधित विवादों की सराहना करने के लिए, यह आवश्यक होगा कि खंड पीठ के दिनांकित 21.06.2012 के संदर्भ आदेश पर ध्यान दें जो नीचे दिया गया हैः

“5. अब्दुरहिमान बनाम केरल सरकार, 2009 (2) के. एल. टी. 105,के अनुच्छेद 14 में खंड पीठ ने विशेष रूप से संशोधनों के प्रभाव पर विचार किया और कहा कि पहले से अर्जित अधिकारों को वंचित नहीं किया जा सकता है। बाद में, माया बनाम केरल राज्य, 2010 (2) के. एल. टी. 99, डिवीजन बेंच ने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। माया के मामले के अनुच्छेद 2 से यह स्पष्ट है। उन पीठ के फैसलों के बीच स्पष्ट संघर्ष सामंजस्यपूर्ण नहीं है खंड पीठ द्वारा नियमों की व्याख्या करते हुए, हालांकि प्रथम दृष्टया, हम उन शिक्षकों के अधिकारों में सार देखते हैं जिन्होंने संशोधन से पहले एक वर्ष से कम समय के लिए अनुमोदित सेवा का आनंद लिया था। हम यह भी देखते हैं कि एक श्रेणी के खिलाफ इस तरह की नियुक्ति का अधिकार संशोधन के परिणामस्वरूप शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के मुकाबले उपलब्ध होने के लिए विस्तार किया गया होगा। इन मामलों को भी गहराई से देखने की आवश्यकता है। लेकिन, ऊपर उल्लेखित निर्णयों के बीच संघर्ष हमें इन मामलों को पूर्ण पीठ को संदर्भित करने के लिए प्रेरित करता है।"

10. पूर्ण पीठ ने एक विस्तृत चर्चा के बाद अनुच्छेद 22 के तहत प्रश्न का उत्तर दिया जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"22. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हम उपरोक्त संदर्भ का उत्तर देते हैं निम्नलिखित तरीके से :

1. अब्दुरहिमान के मामले (ऊपर) में खंड पीठ द्वारा निर्धारित कानून सही कानून है जैसा कि सोमन के मामले (ऊपर) में पूर्ण पीठ द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

2. माया (ऊपर) के मामले में खंड पीठ का निर्णय जहाँ तक यह पहले के खंड पीठ के अब्दुरहिमान के मामले (ऊपर) के फैसले का पालन करता है स्वीकृत है। हालाँकि, निर्णय के पैराग्राफ 7 में निर्धारित अनुपात के अनुसार अल्पावधि रिक्तियों में काम करने के बाद पहले छंटनी किए गए व्यक्तियों को संशोधित नियम का लाभ नहीं मिल सकता है, यानी वे उच्च या निम्न श्रेणी के किसी भी पद के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। शिक्षण पदों की संख्या अस्वीकृत है और उपरोक्त सीमा तक माया (सुप्रा) के मामले में निर्णय को खारिज कर दिया गया है।

3. हमारा यह भी मानना है कि नियम 51ए का पहला परंतुक उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें रिक्ति समाप्त होने के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया था और भले ही उन शिक्षकों की सेवाएं एक शैक्षणिक वर्ष से कम रही हों, वे नियम 51ए के लाभ के हकदार हैं।

4. नियम 51ए के संशोधन से पहले जिन शिक्षकों को छुट्टी दी गई थी, वे भी किसी भी पद पर नियुक्ति का दावा करने के हकदार हैं जिसमें उच्च या निम्न श्रेणी के पद शामिल हैं।

पूर्वगामी चर्चाओं और हमारे उत्तर को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उल्लेख किया गया है ऊपर, डब्ल्यू. पी. (सी)सं. 24773 /2009 के साथ-साथ डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 32734 /2011 खारिज की जाती है। डब्ल्यू. पी. (सी)सं. 2808 / 2012 की अनुमति है और डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 2808/2012 में याचिकाकर्ता को नियुक्ति आदेश जारी करें यदि पहले से जारी नहीं किया गया है, तो आज से तीस दिनों के भीतर। पक्षकार अपना खर्च खुद उठाएंगे।"

11. प्रासंगिक नियमों पर ध्यान देना भी आवश्यक है, अर्थात् नियम 7ए संशोधित और असंशोधित दोनों, नियम 49 और नियम 51ए का प्रासंगिक भाग, इसके संशोधन से पहले और इसके संशोधन के बाद और नियम 52 जो इस प्रकार हैं:

"प्रावधान (पूर्व संशोधन):-

नियम 7ए:

(1) नए खोले गए स्कूल या मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड किए जाने (या उन स्कूलों में अनुमति के साथ खोले गए उच्च मानकों) को छोड़कर, पदों की मंजूरी की प्रत्याशा में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी;

बशर्ते कर्मचारी निर्धारण आदेश के अनुसार स्वीकृत अतिरिक्त पदों के मामले में नियुक्ति निर्धारण आदेश के प्रभावी होने की तिथि से की जा सकेगी।

(2) जो पद अंतिम तिथि पर रिक्त हो सकते हैं, उन्हें पुनः खोलने की तिथि तक नहीं भरा जाएगा।

(3) रिक्तियां, जिनकी अवधि दो महीने या उससे कम है, किसी भी नियुक्ति से नहीं भरी जाएंगी।

नियम 51 एः

जिन योग्य शिक्षकों को नियम 49 या 52 के अनुसार या रिक्तियों की समाप्ति के कारण मुक्त किया जाता है, उन्हें उसी शैक्षिक एजेंसी या एक शैक्षिक एजेंसी के तहत स्कूलों में भविष्य में रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए वरीयता होगी, जिसमें स्कूल को बाद में स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य शैक्षिक एजेंसी के तहत स्कूलों में स्थायी रिक्तियों में नियुक्त नहीं किया गया हो।

प्रावधान (संशोधन के बाद):

नियम 7 एः

(1) जी. ओ. दिनांकित 28.10.1978 के माध्यम से हटा दिया गया।

(2) जो पद अंतिम तिथि को खाली हो सकते हैं, उन्हें गैर-अवकाश कर्मचारियों के पदों को छोड़कर फिर से खोलने की तारीख तक नहीं भरा जाएगा।

(3) जिन रिक्तियों की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष से कम है, उन्हें भरा नहीं जाएगा।

नियम 49:

उन रिक्तियों में नियुक्त प्रधानाध्यापकों को छोड़कर योग्य शिक्षकों को, जो स्थायी नहीं हैं और जो ग्रीष्मकालीन अवकाश पर हैं और जो अंतिम तिथि तक ऐसी रिक्तियों में बने रहते हैं, छुट्टी के दौरान रिक्तियों में बनाए रखा जाएगा, यदि अंतिम तिथि पर उनकी निरंतर सेवा आठ महीने से कम नहीं है। इस प्रकार रखे गए शिक्षक अवकाश वेतन के हकदार होंगे। इन शिक्षकों को समापन के दिन छुट्टी दी जाएगी यदि उस दिन उनकी निरंतर सेवा उपरोक्त अवधि से कम है। यह नियम प्रशिक्षण रिक्तियों में नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा।

व्याख्याः - इस नियम के उद्देश्य के लिए, हेडमास्टर में शामिल हैं प्रभारी शिक्षक भी।

नियम 51 एः

योग्य शिक्षक जिन्हें नियम 49 या 52 के अनुसार मुक्त किया जाता है रिक्तियों की समाप्ति के आधार पर , उसी या उच्चतर या निम्न श्रेणी के शिक्षण पदों में भविष्य की रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए वरीयता होगी, जिसके लिए वह योग्य है, जो तब उत्पन्न हो सकता है जब उसी शैक्षिक एजेंसी या एक शैक्षिक एजेंसी के तहत स्कूलों में निम्न श्रेणी में नियम 43 के तहत कोई दावेदार नहीं है, जिसमें स्कूल को बाद में स्थानांतरित किया जा सकता है किसी भी अन्य शैक्षिक एजेंसी के तहत स्कूल में। (दिनांक 25.06.2005 के संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया)

बशर्ते कि एक शिक्षक जिसे नियम 49 या नियम 52 के तहत मुक्त कर दिया गया था, वह इस नियम के तहत नियुक्ति के लिए वरीयता का हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसे शिक्षक के पास राहत की तारीख के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष की न्यूनतम निरंतर सेवा न हो:

(दिनांक 27.04.2005 के संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया)

बशर्ते कि इस नियम के तहत पहली प्राथमिकता उसी शैक्षणिक एजेंसी से संबंधित संरक्षित शिक्षकों को दी जाएगी ।

नोट 1. यदि इस नियम के तहत एक से अधिक दावेदार हैं वरीयता का क्रम पहली नियुक्ति तारीख के अनुसार होगा। यदि पहली नियुक्ति की

तारीख समान है तो वरीयता उम्र के संदर्भ में तय की जाएगी, जिसमें बड़ी को पहली वरीयता दी जाएगी। इस तरह की नियुक्तियां करने में, विषयों की आवश्यकता को और नियम 1 के उप-नियम (4) के तहत निदेशक द्वारा जारी किए गए निर्देश पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए जहाँ तक उच्च विद्यालयों का संबंध है।

नोट 1ए: शैक्षिक एजेंसी के तहत समान या उच्चतर या निम्न श्रेणी के शिक्षण पदों पर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर नई नियुक्तियाँ सेवा से बाहर किए गए ऐसे शिक्षकों और शैक्षिक एजेंसी के तहत उपलब्ध संरक्षित शिक्षकों को पुनः नियुक्ति प्रदान करने के बाद ही की जाएंगी।

व्याख्याः - इस खंड के प्रयोजन के लिए, "संरक्षित शिक्षक" का मतलब है कि एक शिक्षक जिसे सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमित सेवा की अवधि पूरी करने के बाद रिक्ति के अभाव में हटा दिया गया है या शासनादेश (एमएस) संख्या 104/69/ईडीएन. दिनांक 06.03.1969 अथवा शासनादेश(एम एस)संख्या 231/84/ईडीएन. दिनांक 27.10.1984 के अनुसार ऐसी सुरक्षा के लिए पात्र या समय-समय पर सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आदेश।

नोट 2: प्रबंधक को पंजीकृत पोस्ट पावती द्वारा शिक्षक को नियुक्ति का आदेश जारी करना चाहिए और शिक्षक को ड्यूटी में शामिल होने के लिए 14 (चौदह) स्पष्ट दिनों की अवधि देनी चाहिए। यदि शिक्षक समय

पर ड्यूटी में शामिल नहीं होता है तो प्रबंधक को शिक्षक को यह कहते हुए एक और नोटिस देना चाहिए कि उसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा और यदि अगले 7 (सात) स्पष्ट दिनों के भीतर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो इस नियम के तहत तरजीही अधिकार को जब्त कर लिया जाएगा। यदि उस दौरान भी कुछ नहीं सुना जाता है, तो इसके तहत वरीयता अधिकार नियम को जब्त माना जाएगा।

नियम 52:

(1) जिन शिक्षकों को विभाग के आदेशों के तहत पदों की संख्या में किसी भी कमी के कारण कार्यमुक्त किया गया है, उन्हें उसी स्कूल में या उसी प्रबंधन या एक अलग प्रबंधन के तहत दूसरे स्कूल में पुनर्नियुक्ति पर उसी वेतन पर शुरू किया जाएगा जो उन्हें कार्यमुक्ति के समय मिल रहा था चाहे नई नियुक्ति स्थाई है या नहीं।

(2) विभाग द्वारा स्कूलों की मान्यता वापस लेने के कारण सेवा से बाहर किये गये शिक्षक भी दूसरे स्कूल में पुनः नियुक्ति पर वह वेतन पाने के पात्र होंगे जो उन्हें स्कूल की मान्यता वापस लेने के समय मिल रहा था।

12. चूंकि यह नियम 7ए(3) और साथ ही नियम 51ए के साथ-साथ नियम 49 और 52 किसी भी आगे की चर्चा में प्रवेश करने से पहले स्नेहा चेरियन (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले में विवरण में विचार का विषय थे, हम इसे महसूस करते हैं उपर्युक्त नियमों को पढ़ने पर इस

न्यायालय द्वारा निकाले गए प्रासंगिक निष्कर्षों पर ध्यान देना उचित होगा।

13. उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24.1 और 24.4 हैं जो इस प्रकार हैं:

> "18. हम नियम 7-ए के उप-नियम (3) के दायरे और सरकारी आदेश दिनांक 10-6-2008 के साथ पठित धारा 51-ए के परंतुक की जांच करने से पहले अधिनियम और के. ई. आर. की योजना और नियम 7-ए के उप-नियम (3) के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ-साथ दिनांकित 10-6-2008 के विवादित आदेश की भी जांच कर सकते हैं। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि केरल शिक्षा अधिनियम और के. ई. आर. के अनुसार, सहायता प्राप्त स्कूल का प्रबंधक अपने-अपने स्कूलों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है जो नियमों और पूरे वेतन और अन्य भत्तों के अनुसार योग्य हैं जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाने हैं।"

19. केईआर के अध्याय XIV-ए के नियम 51-ए में कहा गया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में योग्य ए शिक्षक जो रिक्तियों की समाप्ति के कारण कार्यमुक्त हो गए हैं, उन्हें सहायता प्राप्त स्कूलों में भविष्य की

रिक्तियों में पुनर्नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। केईआर के नियम 43, अध्याय XIV-ए में कहा गया है कि वेतन के किसी भी उच्च ग्रेड में रिक्तियों को वरिष्ठता के अनुसार निचले ग्रेड में पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। हम नियम 7-ए के उप-नियम (3) को अलग से नहीं पढ़ सकते हैं, इसे नियम 51-ए के परंतुक के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए: उन्हें एक अभिन्न संपूर्ण के भागों के रूप में और अन्योन्याश्रित होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। विधायिका ने उस परस्पर निर्भरता को मान्यता दी है क्योंकि नियम 7-ए के उप-नियम (3) और धारा 51-ए के प्रावधान दोनों को वर्ष 2005 में में एक ही संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। नियम 7 के उप-नियम (3) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "रिक्तियाँ" का अर्थ है "वे पद जो खाली रहते हैं"। नियम यह नहीं कहता है कि रिक्ति की अवधि उस समय से निर्धारित की जानी है जब रिक्ति समाप्त होती है। अवधि का अर्थ है वह समय जिसके दौरान कुछ जारी रहता है यानी पदधारी की निरंतरता। जैसा कि अधिसूचना दिनांक 15-6-2004 में कहा गया है, एक शैक्षणिक वर्ष से कम अवधि वाली रिक्तियों को दैनिक वेतन के आधार पर भरा जा सकता है। नियम 7-ए के उप-नियम (3) में "शैक्षणिक वर्ष" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। केईआर के अध्याय VII का नियम 2-ए शैक्षणिक वर्ष को संदर्भित करता है, जो इस प्रकार है:

"2 - ए. यह माना जाएगा कि शैक्षणिक वर्ष फिर से खुलने के दिन से शुरू होता है और गर्मियों की छुट्टी से पहले अंतिम दिन समाप्त होता है।"

अध्याय VII का नियम 1 कहता है

"1. सभी स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे वर्ष मार्च के अंतिम कार्य दिवस पर और जून के पहले कार्य दिवस पर फिर से खोला जाता है जब तक कि निदेशक द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता है।

1. सभी स्कूल हर साल मार्च के अंतिम कार्य दिवस पर गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे और जून के पहले कार्य दिवस पर फिर से खोले जाएंगे जब तक कि निदेशक द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए।"

दिनांक 10-6-2008 की अधिसूचना केवल यह कहती है कि यदि नियुक्ति की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष को कवर नहीं करती है, यानी गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल के फिर से खुलने से लेकर गर्मी की छुट्टी के समापन के दिन तक, तो नियुक्ति केवल दैनिक वेतन के आधार पर की जाएगी। . इसी प्रकार, यदि अवधि फिर से खुलने के दिन की शुरुआत के बाद शुरू होती है, लेकिन अगले शैक्षणिक वर्ष/वर्षों तक बढ़ जाती है, तो पहली छुट्टी तक की अवधि दैनिक वेतन पर स्वीकृत की जाएगी केवल जो

के प्रबंधकों का अधिकार नहीं छीनता सहायता प्राप्त स्कूलों में पदोन्नति, मृत्यु, त्यागपत्र आदि के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। प्रतिबंध केवल नियम 51-ए का दावेदार बनने के लिए एक नई नियुक्ति के लिए न्यूनतम कार्यकाल/अवधि के संबंध में है, और यही केईआर के अध्याय XIV-ए के नियम 51-ए के परंतुक के साथ पढ़े गए नियम 7-ए के उप-नियम (3) का उद्देश्य है।

20. केरल शिक्षा अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का उद्देश्य और प्रयोजन सहायता प्राप्त स्कूलों के कुछ प्रबंधकों द्वारा अपनाई जाने वाली बीमार प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। अल्पकालिक रिक्तियों या अपेक्षाकृत लंबी छुट्टी रिक्तियों में कई व्यक्तियों को नियुक्त करना, जिससे एक ही रिक्ति के खिलाफ कई नियम 51-ए दावेदार बन जाते हैं। उपर्युक्त अधिसूचना का उद्देश्य और उद्देश्य प्रत्याशित रिक्तियों में कई दावेदारों के निर्माण की प्रथा को समाप्त करना है, जिससे सरकार पर भारी वित्तीय प्रतिबद्धता थोपने वाले अधिक नियम 51-ए दावेदार पैदा होते हैं।

21. नियम 7 का उप-नियम (3) प्रबंधकों के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है। स्थापित रिक्तियों में नियमित नियुक्तियां करने में विभिन्न विद्यालयों का क्या करना है, उस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकना और सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधकों को अल्पकालिक रिक्तियां पैदा करने और उन रिक्तियों में कई व्यक्तियों की नियुक्ति करने से रोकना ताकि

उन्हें नियम 51-ए के तहत दावेदार बनाया जा सके।। जिस शरारत या बुराई का निवारण किया जाना है, उसे देखते हुए, हमें केईआर के अध्याय XIV-ए के नियम 51-ए के प्रावधान के साथ पढ़े गए नियम 7-ए के उप-नियम (3) के एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण को अपनाना होगा।

22. हम इस तरह के निर्माण को अपनाने के इच्छुक हैं क्योंकि उत्तरदाताओं का रुख यह है कि नियम 7-ए "रिक्तियों की अवधि" की बात करता है न कि "नियुक्ति की अवधि" की। नियम 7-ए के उप-नियम (3) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "रिक्ति" को साथ में पढ़ना होगा अभिव्यक्ति "शैक्षणिक वर्ष" के साथ ताकि नियम 7-ए के संशोधित उप-नियम (3) के उद्देश्य और प्रयोजन को प्राप्त किया जा सके ताकि शरारत का समाधान किया जा सके। जिस बुराई का निवारण करने की मांग की गई थी, वह शैक्षणिक वर्ष के दौरान अल्पकालिक रिक्तियां बनाने में कुछ सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंधकों द्वारा अपनाई गई व्यापक अनैतिक और बीमार प्रथाओं के परिणामस्वरूप हुई थी। हम ऐसा रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए नहीं कि वैधानिक प्रावधान में कोई अस्पष्टता है बल्कि उप-नियम (3) के उद्देश्य और प्रयोजन की पुष्टि नियम 7-ए धारा 51-ए और सरकारी आदेश दिनांक 10-6-2008 के परंतुक के साथ पढ़ा जाए। नियम 7-ए को धारा 51-ए और सरकारी आदेश दिनांक 10-6-2008 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है।

23. हमने बाद में देखा कि सरकार ने एक और जीओ(पी) 56/11/जनरल.ईडीएन. दिनांक 26-2-2011 पारित किया है दिनांक 15-6-2004 एवं 10-6-2008 के पूर्व शासनादेशों को स्पष्ट करते हुए । इसका क्रियाशील भाग इस प्रकार है:

"1. मौजूदा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, लंबी छुट्टी

यह नीचे लिखा हैः

> "1. मौजूदा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, लंबी छुट्टी आदि के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों और स्वीकृत रिक्तियों पर नियुक्तियों के लिए केईआर के नियम 49 अध्याय XIV-ए के तहत शर्तों के अधीन मंजूरी दी जा सकती है और अतिरिक्त डिवीजनों की मंजूरी के कारण उत्पन्न और जारी 31 मार्च के बाद भी अनुमोदित रिक्तियां।
>
> 2. एक शैक्षणिक वर्ष में 8 महीने से कम अवधि की नियुक्तियाँ दैनिक वेतन के आधार पर स्वीकृत की जा सकती हैं और इससे अधिक अवधि की नियुक्तियाँ नियमित (वेतनमान पर) के रूप में स्वीकृत की जाएंगी।"

हमने पूर्णता के लिए उपरोक्त जी. ओ. का उल्लेख किया है, जिसका निश्चित रूप से उस व्याख्या पर कोई असर नहीं है जो हम करते हैं। के.

ई. आर. के अध्याय XIV-ए के नियम 51-ए के परंतुक के साथ पठित नियम 7-ए के उप-नियम (3) को रखा है, लेकिन कुछ मामलों में तथ्यों पर अनुप्रयोग हो सकता है जिन्हें स्वतंत्र रूप से तय किया जाना है।

24. इसलिए, हम इन अपीलों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं और निम्नलिखित निर्देशों के साथ खंड पीठ के फैसले को दरकिनार कर देते हैं:

24.1. एक शिक्षक, जिसे केईआर के अध्याय XIV-ए के नियम 49 और 53 के तहत सेवा से मुक्त कर दिया गया था, वह नियम 51-ए के तहत नियुक्ति के लिए वरीयता पाने का हकदार है, केवल तभी जब शिक्षक के पास एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम निर्धारित निरंतर सेवा हो। कार्यमुक्ति की तारीख पर।

24.2 xxx xxx

24.3 xxx xxx

24.4. प्रबंधक स्कूल में नियुक्तियाँ कर सकता है भले ही उसकी अवधि एक शैक्षणिक वर्ष से कम हो लेकिन दैनिक वेतन के आधार पर हो और यदि रिक्ति की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष से अधिक हो तो उसे वेतनमान के आधार पर भरा जा सकता है।"

14. उपरोक्त पैराग्राफ में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया है कि नियम 7ए(3) के संशोधन के बाद, एक योग्य शिक्षक के लिए नियम 51ए

में उल्लेखित "रिक्तियों की समाप्ति के कारण" श्रेणी के तहत वरीयता नियुक्ति का दावा करने के लिए, ऐसी रिक्तियों में पहले की नियुक्ति एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए, अर्थात् पिछले वर्ष के 1 जून से अगले वर्ष के मार्च के अंतिम दिन तक। उदाहरण के लिए, यदि शैक्षणिक वर्ष 2000-2001 है तो नियुक्ति होगी ऐसी कोई भी रिक्ति 1 जून 2000 को शुरू होनी चाहिए और 31 मार्च 2001 को समाप्त होनी चाहिए। यदि ऐसी किसी रिक्ति में नियुक्ति ऊपर उल्लेखित अवधि से कम हो जाती है तो ऐसे शिक्षक को "रिक्तियों की समाप्ति के आधार पर" की श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप भविष्य की किसी भी रिक्तियों में वरीयता नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता।

15. एक बार जब हम स्नेहा चेरियन (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संबंध में उक्त स्थिति से स्पष्ट हो जाते हैं, तो हमें 5वें प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री सी.एस. राजन की दलीलों पर विचार करना होगा, जिनका समर्थन किया गया था। राज्य की ओर से पेश स्थायी वकील द्वारा, जो दोनों अपने आदेश दिनांक 26.11.2011 में प्रथम प्रतिवादी के निष्कर्ष का समर्थन करना चाहते थे।

16. श्री सी.एस. राजन 5वें प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार पहले उदाहरण में, 5वें प्रतिवादी ने पहले से ही असंशोधित नियम 7ए(3) को ध्यान में रखते हुए को एक निहित अधिकार प्राप्त कर लिया

था, जो 01.10.1997 और 11.03.1998 के बीच अवकाश रिक्तियों में उसकी नियुक्ति के समय प्रचलित था। जैसा कि हमने पहले नोट किया था, उसने उक्त अवधि में यानी 11.01.1998 और 11.03.1998 के बीच दो महीने और उन्नीस दिन लगाए थे। असंशोधित नियम 7ए के तहत शर्त यह थी कि जिन रिक्तियों की अवधि दो महीने या उससे कम है, उन्हें किसी भी नियुक्ति से नहीं भरा जाना चाहिए। चूंकि प्रासंगिक समय पर उक्त असंशोधित नियम लागू था, 10.01.1998 और 11.03.1998 के बीच 5वें प्रतिवादी की संलग्नता पूरी तरह से असंशोधित नियम 7ए(3) द्वारा शासित थी। इस प्रकार, 5वें प्रतिवादी की संलग्नता एक वैध संलग्नता थी। यदि संशोधित नियम 7ए(3) को नजरअंदाज किया जाता है तो निश्चित रूप से वह नियम 51ए में निर्धारित "रिक्तियों की समाप्ति के कारण" श्रेणी में आ जाएगी। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी हमारा ध्यान नियम 51ए के तहत निर्धारित नोट 2 की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि संबंधित योग्य शिक्षक द्वारा उक्त आवश्यकता की पूर्ति की स्थिति में प्रबंधक पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक पावती से नियुक्ति आदेश करने का दायित्व डाला गया था शिक्षक को सेवा में शामिल होने के लिए 14 स्पष्ट दिनों का नोटिस देने और उक्त शिक्षक के सेवा में शामिल नहीं होने की स्थिति में, 7 स्पष्ट दिनों के साथ एक और अवसर देने और उसके बाद भी केवल तभी जब शिक्षक सेवा में शामिल होने में विफल होने पर अधिमान्य अधिकार की ज़ब्ती हो जायेगी।

इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि भले ही नियम 51ए के नोट 2 के अनुपालन के बिना वर्ष 2010 में रिक्ति आने पर 5वें प्रतिवादी ने आवेदन नहीं किया था, अपीलकर्ता द्वारा 6 प्रतिवादी की नियुक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता था।

17. हालाँकि, पहली नज़र में, तर्क बहुत ठोस और आकर्षक प्रतीत होता है, हम उक्त प्रस्तुतीकरण की सराहना करने में सक्षम नहीं हैं, हालाँकि, हम विद्वान वकील के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं कि 5 वें प्रतिवादी ने विशेष रूप से नियम 7ए(3) में संशोधन लाए जाने के बाद भी निहित अधिकार हासिल कर लिया। पुनरावृत्ति के जोखिम पर यह कहा जाना चाहिए कि नियम 7ए(3) में संशोधन के बाद जो अधिसूचना जीओ(पी) संख्या 121/2005/जी.ईडी.एन. द्वारा पेश किया गया था दिनांक 16.04.2005, स्थिति यह थी कि एक योग्य शिक्षक को उस रिक्ति पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो समाप्त हो गई थी जब तक कि उसकी अवधि एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष न हो। यह पता लगाने के लिए कि एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष क्या होगा, स्नेहा चेरियन (सुप्रा) में इस न्यायालय ने केरल शिक्षा नियमों के अध्याय VII के नियम 2 ए का उल्लेख किया है जो विशेष रूप से एक "शैक्षणिक वर्ष" को परिभाषित करता है जिसे फिर से खोलने के दिन शुरू माना जाता है और उसी दिन समाप्त किया जाता है ग्रीष्म अवकाश से पहले अंतिम दिन। अध्याय VII के नियम के तहत यह विशेष रूप से निर्धारित है कि सभी स्कूलों को हर

साल मार्च के अंतिम कार्य दिवस पर ग्रीष्म अवकाश के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए और जून के 1" कार्य दिवस पर फिर से खोला जाना चाहिए जब तक कि निदेशक द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए। इसलिए, शैक्षणिक वर्ष पिछले वर्ष के 1 जून को शुरू होगा और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। इसलिए, यदि किसी को नियम 51ए के तहत "रिक्तियों की समाप्ति के कारण" श्रेणी के तहत नियुक्ति के किसी अधिमान्य अधिकार का दावा करना था, तो संशोधित नियम 7ए(3) में निहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए ऐसे योग्य शिक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए था। किसी रिक्ति में जो एक स्पष्ट शैक्षणिक वर्ष तक चली या अस्तित्व में थी, अर्थात्, प्रासंगिक वर्ष के 1 जून से लेकर अगले वर्ष के 31 मार्च के अंत तक। यह 5वें प्रतिवादी का मामला नहीं है कि उसने उक्त आवश्यकता को पूरा किया है जैसा कि अब नियम के तहत निर्धारित किया गया है, अर्थात्, 7ए (,3) को नियम 51ए के साथ पढ़ा जाता है।

18. उक्त स्थिति को नोट करने के बाद, हम ऐसी आकस्मिकताओं के तहत उत्पन्न होने वाली व्याख्या के सिद्धांतों को बाहर निकालना उचित समझते हैं। गरिकापति वीराया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी-एआईआर 1957 एससी 540 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ देकर किसी व्यक्ति में निहित अधिकार के अस्तित्व या अन्यथा के सवाल पर कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करना सार्थक होगा। प्रसिद्ध न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. आर. दास,

मुख्य न्यायाधीश द्वारा उक्त निर्णय में उल्लेखित तथ्यों को संक्षेप में दोहराना लाभदायक होगा। उस मामले में याचिकाकर्ता ने 10 फरवरी, 1955 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले से एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। जिस मुकदमे में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, उसे 22 अप्रैल, 1949 को अधीनस्थ अदालत में दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया 14 नवंबर, 1950 को व मुकदमे को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने 4 मार्च, 1955 के अपने फैसले द्वारा अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत के आदेश को उलट दिया और मुकदमे का फैसला सुनाया। उसी के खिलाफ पीड़ित ने उस मामले में विशेष अनुमति याचिका अपील करने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। इस न्यायालय और उसे अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि संपत्ति का मूल्य केवल रू.11,400/- था और रू..20,000/- के स्तर तक नहीं आया था।। विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि निर्णय उलटने वाला था और मूल्य रुपये 10,000/ -से अधिक था ,वह अपील पर इस न्यायालय में आने के अधिकार के रूप में हकदार था और चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 को लागू करके उन्हें उक्त अधिकार से वंचित कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने विशेष अनुमति याचिका दायर की। विशेष अनुमति याचिका याचिकाकर्ता का तर्क

था कि मुकदमा शुरू होने की तारीख से ही उन्होंने इस न्यायालय में अपील करने का एक निहित अधिकार प्राप्त कर लिया था और अपनी दलीलों के समर्थन में उन्होंने विभिन्न निर्णयों पर निर्भर किया था। संविधान पीठ ने उठाए गए मुद्दे का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

"ऊपर बताए गए निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से उभरते हैंः

(i) किसी उपचार, वाद, अपील और दूसरी अपील की कानूनी खोज वास्तव में आंतरिक एकता से जुड़ी कार्यवाहियों की एक श्रृंखला के चरण हैं और इन्हें एक कानूनी कार्यवाही के रूप में माना जाना चाहिए।

(ii) अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक अधिकार है।

(iii) वाद की संस्था अपने साथ यह निहितार्थ रखती है कि अपील के सभी अधिकार तब तक पक्षकारों के लिए संरक्षित हैं जब तक कि वाद का अस्तित्व बाकी है।

(iv) अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और उच्च न्यायालय में प्रवेश करने का ऐसा अधिकार वादी को प्राप्त होता है और मुकदमा शुरू होने की तारीख से ही अस्तित्व में रहता है और यद्यपि इसका वास्तव में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह प्रचलित कानून

द्वारा शासित होता है। मुक़दमे या कार्यवाही की शुरुआत की तिथि पर, न कि उस कानून द्वारा जो उसके निर्णय की तिथि पर या अपील दायर करने की तिथि पर लागू होता है।

(v) अपील के इस निहित अधिकार को केवल एक बाद के अधिनियम द्वारा छीन लिया जा सकता है , यदि ऐसा स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से प्रदान करता है और अन्यथा नहीं।

19. हमारे विचार में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होंगे, जबकि असंशोधित नियम 7ए(3) पर भरोसा करके निहित अधिकार का दावा करने वाले 5 वें प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क पर विचार कर रहे हैं। उक्त निर्णय के सिद्धांत (i), (iii), (iv) और (v) मौजूदा मामले के अनुरूप हैं। जब हम उपरोक्त सिद्धांतों का व्यापक संदर्भ देते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि किसी उपाय की कानूनी खोज के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि ऐसे उपाय के विभिन्न चरण एक कड़ी में या बल्कि श्रृंखला के रूप में बनते हैं, जो जुड़े हुए हैं एक आंतरिक एकता से जिसे एक कार्यवाही के रूप में कहा जा सकता है, कि इस तरह के निहित अधिकार, यदि कोई हो, की उत्पत्ति उस कार्यवाही में होनी चाहिए जो इस तरह के अधिकार पर स्थापित की गई थी, जिसे इसके मूल के समय ही स्पष्ट कर दिया गया था, जिस स्थिति में सभी भविष्य के दावे उसी आधार पर होंगे जब तक उक्त अधिकार की अंततः जांच नहीं हो जाती तब तक अनुसरण किया

जाना संरक्षित रहेगा। भविष्य के उपचार के इस तरह के संरक्षण के अस्तित्व में आने और अतिस्पष्ट होने की स्थिति में, यह उत्पत्ति की तारीख से पहले का होगा जब तथाकथित निहित अधिकार शुरू हुआ था, तभी और केवल तभी यह माना जा सकता है कि उक्त अधिकार बन गया एक निहित अधिकार है और यह उस कानून से पराजित नहीं होता है जो इसके निर्णय की तिथि पर या बाद में दावा दायर करने की तिथि पर लागू होता है। एक अन्य मौलिक सिद्धांत जो ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि ऐसे निहित अधिकार को भी बाद के अधिनियम द्वारा छीना जा सकता है यदि ऐसा बाद का अधिनियम विशेष रूप से व्यक्त शब्दों या आवश्यक इरादे से प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, बाद के अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान द्वारा ऐसे किसी भी अधिकार के विलुप्त होने की स्थिति में, अपना मूल्य खो देगा।

20. इस प्रकार निहित अधिकार के दावे पर इस तरह के अच्छी तरह से निर्धारित सिद्धांतों को नोट करने के बाद, जब हम 5वें प्रतिवादी की ओर से किए गए तर्क का परीक्षण करते हैं तो शुरुआत में ही यह कहा जाना चाहिए कि यद्यपि 5वें प्रतिवादी ने दिनांक 16.04.2005 की अधिसूचना द्वारा नियम 7ए (3) के संशोधन से पहले दो महीने की अवधि के लिए एक योग्य शिक्षक के रूप में एक रिक्ति में कार्यरत होकर अपरिवर्तित नियम 7ए (3) को संतुष्ट किया 11 मार्च, 1998 को। दुर्भाग्य से 5वें प्रतिवादी के लिए किसी भी तरजीही नियुक्ति के लिए दावा करने

का कोई अवसर नहीं था ऐसी आवश्यकता की पूर्ति के आधार पर जो तब मौजूद थी और जैसा कि नियम 51 ए के तहत प्रदान किया गया था। वास्तव में, 1998 और 2010 के बीच यानी लगभग 12 वर्षों के लिए 5वें प्रतिवादी के लिए दावा करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए, शुरुआत में ही किसी उपाय को खोजने का मूल सिद्धांत क्रम में नहीं आया। इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या इस तरह के दावे की शुरुआत के आधार पर कोई आगे की कार्यवाही की जा सकती है। चूंकि दावे की शुरुआत में ही तत्कालीन मौजूदा नियम 7 ए (3) के आधार पर भी दावे को आगे बढ़ाया नहीं जा सका, इसलिए यह मानना बहुत मुश्किल है कि ऐसे किसी भी अधिकार का संरक्षण किया जा सकता था जैसा कि यह असंशोधित नियम 7ए(3) के तहत मौजूद था। मौजूदा मामले में उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि जो कानून प्रचलित था, अर्थात् अधिकार जो कि केवल असंशोधित नियम 7ए(3) के तहत उपलब्ध था, न कि वह कानून जो उस समय प्रचलित था जब 5वें प्रतिवादी ने तरजीही नियुक्ति के लिए अपना दावा पेश किया था यानी जब वर्ष 2010 में रिक्ति निकली थी। उस समय तक यानी 12 साल बाद जब 5वीं प्रतिवादी ने नियम 51ए के तहत अपने अधिकार को लागू करने की मांग की, क्योंकि नियम 7ए(3) में संशोधन के माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन लागू हुआ, जिसने स्पष्ट रूप से एक योग्य शिक्षक को " रिक्ति की समाप्ति के कारण" के तहत वर्गीकृत होने का दावा करने से वंचित कर

दिया इस तरह के स्पष्ट निषेध को नियम 7ए(3) में संशोधन के आधार पर पेश किया गया था, यह मानना होगा कि 5वें प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का प्रस्तुतीकरण कि एक निहित अधिकार उसे जल्द से जल्द प्राप्त हुआ 11.03.1998 को ,मान्य नहीं किया जा सकता। चूंकि, 5वें प्रतिवादी के दावे की बुनियाद उक्त प्रस्तुतिकरण पर टिकी हुई है, हमें उसके बचाव के लिए नियम 51ए के नोट 2 को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। समान रूप से अब्दुरहिमान (उपरोक्त) में विद्वान वकील द्वारा की गई निर्भरता का भी कोई फायदा नहीं होगा जब एक बार 5वें प्रतिवादी का दावा गरिकापति वीराया (उपरोक्त) में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर जमीन पर गिर जाता है। नतीजतन, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने के कमजोर प्रयास को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

21. इसलिए, नियम 51ए के साथ पठित संशोधित नियम 7ए (3) की व्याख्या के अनुसार, यदि किसी को इस श्रेणी में लाया जाना था रिक्तियों की समाप्ति के कारण कार्यमुक्त किए गए योग्य शिक्षक, संशोधित नियम 7ए (3) को संतुष्ट करना आवश्यक है, अर्थात्, ऐसी प्रतिबद्धता केरल शिक्षा नियमों के अध्याय VII के नियम 1 और 2A के तहत निर्धारित एक स्पष्ट शैक्षणिक वर्ष के लिए चला। 5वें प्रतिवादी ने उक्त आवश्यकता को पूरा नहीं किया, इसलिए उसे तरजीही नियुक्ति के

लिए नियम 51ए के तहत अपने दावे को लगाने की अनुमति देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उक्त कानूनी परिणाम को ध्यान में रखते हुए, प्रथम प्रतिवादी द्वारा दिनांकित 26.11.2011 आदेश में दी गई राहत को कायम नहीं रखा जा सकता है और नतीजतन, विवादित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को भी कायम नहीं रखा जा सकता है। पूर्ण पीठ द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर भी दरकिनार किए जाने योग्य हैं और इसके स्थान पर यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि स्नेहा चेरियन (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या ही मान्य होगी।

22. अपीलों की अनुमति दी जाती है। विवादित निर्णय निरस्त किया जाता है। प्रथम "उत्तरदाता का दिनांकित 26.11.2011 का आदेश भी रद्द किया जाता है। छठे प्रतिवादी की नियुक्ति बहाल की जाती है और लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।